

राजस्थान सरकार
न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 15/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री हिन्दुसिंह पुत्र श्री राणसिंह निवासी
चौहटन, तहसील चौहटन, जिला
बाड़मेर।(मैसर्स जय गुरुदेव बर्तन भंडार
जोधपुर रोड़, पचपदरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 19.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स जय गुरुदेव बर्तन भंडार जोधपुर रोड़, पचपदरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री हिन्दु सिंह उपस्थित मिले। मौके पर 5 घरेलु गैस सिलेण्डर भंडारित एवं विक्रय किया जाना पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	008599	HP	11.6	6.6	5.0
2.	005909	HP	11.8	6.8	5.0
3.	003051	HP	6.6	6.6	
4.	007899	HP	6.6	6.6	
5	506157	HP	8.2	8.2	

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा बिना दस्तावेज उपयोग करने पर अवैध मानते हुए उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एच पी

सुशील कुमार
जिला कलक्टर
बालोतरा

गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री किशनलाल को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर बिना दस्तावेज विक्रय करना व अनुज्ञापत्र के उपयोग करने हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 6 व 7(1) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।
4. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।
5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर के विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एच पी गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री किशनलाल को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 6 व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 6 व 7(1) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, बालोतरा